गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता

जन–जन का चेहरा एक
चाहे जिस देश, प्रांत, पुर का हो
जन–जन का चेहरा एक।

एशिया की, यूरोप की, अमरीका की
गलियों की धूप एक।
कष्ट–दुख सन्ताप की,
चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां एक।

जोश में यों ताकत से बंधी हुई
मुट्ठियों का एक लक्ष्य
पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर
है जनता का एक दल, एक पक्ष।

जलता हुआ लाल कि भयानक सितारा एक।
गंगा में, इरावती में, मिनाम में
अपार अकुलाती हुई,
नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई,
बहती–बहाती हुई ज़िन्दगी की धारा एक;
प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक।

पृथ्वी का प्रसार
अपनी सेनाओं से किये हुए गिरफ़्तार,
गहरी काली छायाएं पसार कर
खड़े हुए शत्रु का काले–से पहाड़ पर
काला–काला दुर्ग एक।

आशामयी लाल–लाल किरणों से अंधकार
चीरता–सा मित्र का स्वर्ग एक;
जन–जन का मित्र एक।

विराट् प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक,
धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक
लाख–लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक,
हिये में हिम्मत का सितारा एक।

चाहे जिस देश, प्रान्त, पुर का हो
जन–जन का चेहरा एक।
एशिया के, यूरोप के, अमरीका के
भिन्न–भिन्न वास स्थान एक;
भौगोलिक, ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद,
सभी ओर हिन्दुस्तान, सभी ओर हिन्दुस्तान।

सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं।
सभी ओर कन्हैया ने गायें चरायी हैं
ज़िन्दगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक;

दानव दुरात्मा एक,
मानव की आत्मा एक।
शोषक और खूनी और चोर एक।
जन–जन के शीर्ष पर,
शोषण का खड्ग अति घोर एक।

दुनिया के हिस्सों में चारों ओर
जन–जन का युद्ध एक,
मस्तक की महिमा
व अन्तर की उष्मा
से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक।

संग्राम का घोष एक,
जीवन संतोष एक।
क्रान्ति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक,

चाहे जिस देश, प्रान्त, पुर का हो
जन–जन का चेहरा एक।

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। जजों को अपराध करने की पूरी छूट समाचार पढ़ कर हैरत में रह गया। वास्तव में व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि भ्रष्टाचार का कोढ़ न्यायपालिका को भी लग गया है। जनतंत्र में सभी के लिए एक नियम-कानून है, फ़िर किस आधार पर जजों को इससे मुक्त क्यों रखा गया है? आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहना है कि सूचना के अधिकार से न्यायालय को मुक्त रखा गया है। यद्यपि यह बात गलत है, फ़िर भी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश अड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि न्यायालयों में ऐसे काम भी होते हैं जो अनुचित हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फ़िर मुख्य न्यायाधीश कुछ छिपाना क्यों चाहते हैं? अन्य समाचार और लेख भी प्रासंगिक हैं और ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। अख़बार में नियमित तौर पर कला, संस्कृति से संबंधित कॉलम भी प्रकाशित करें। यह अख़बार अपनी तरह का अकेला अख़बार है। यह उन ख़बरों को छापता है जिसे बड़े-बड़े अख़बार किसी भी हालत में नहीं छाप सकते।

- रामजी लाल, गुड़गांव

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। अब इस अख़बार के डाक द्वारा आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। पिछले दो-तीन अंकों से नियमित तौर पर अख़बार हॉकर द्वारा दिया जा रहा है। यह व्यवस्था बड़ी अच्छी लगी। डाक से अख़बार भेजने से कभी तो मिल जाता था और कभी नहीं। एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती थी। पर अब ऐसा नहीं है। जहां तक इस अंक में प्रकाशित सामग्री का सवाल है, सभी समाचार और लेख स्तरीय हैं। मुझे इसमें प्रकाशित चुनाव विश्लेषण काफ़ी अच्छा और सटीक लगा। पाश की कविता आप लगातार छापते रहे हैं। यह अच्छा है, पर कभी आप हिंदी के भी कुछ क्रांतिकारी कवियों की रचनायें प्रकाशित करें।

- कृष्णमोहन, फरीदाबाद

पहली बार एक मित्र के पास मज़दूर मोर्चा का अंक देखने को मिला। मैंने यूं ही अख़बार को उलट-पलट कर देखा तो मुझे लगा कि इसमें गंभीर सामग्री है और इसे स्थिरतापूर्वक पढ़ना ठीक होगा। मैं अख़बार घर ले आया। पूरा अख़बार पढ़ने के बाद मु महसूस हुआ कि यह नये ढंग की पत्रकारिता है। सीधे सरकार और वर्तमान व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। यह एक ऐसा अख़बार है जिसे हर वह व्यक्ति पढ़ना पसंद करेगा जो इस व्यवस्था से असंतुष्ट है। जब मैंने इसका सदस्य बनना चाहा तो मेरे मित्र ने बताया कि यह अख़बार हॉकरों द्वारा भी मंगवाया जा सकता है। इसके बाद मैंने अपने हॉकर को बोल दिया कि वह नियमित तौर पर मज़दूर मोर्चा के अंक दिया करे। अब अगले अंक का इंतज़ार कर रहा हूं।

- सुमन भाटिया, फरीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इसमें प्रकाशित लेख बड़े ही विचारोत्तेजक होते हैं। इसमें समाचार भी वही छपते हैं जो अन्यत्र कहीं छापने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इस अंक में सभी समाचार उस सच्चाई को बयान करते हैं जो बेहद कड़वी है, पर जिनके बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरह का अख़बार कम से कम साप्ताहिक प्रकाशित होना चाहिए। मैं उस समय से इसका नियमित पाठक हूं जब यह दैनिक छपा करता था। वैसे, पिछले पांच-छ: वर्षों से इसका पाक्षिक नियमित प्रकाशन भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है।

- चंद्रप्रकाश, बल्लबगढ़

मैं मज़दूर मोर्चा का पुराना नियमित पाठक हूं। इसमें पुलिस और न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में काफ़ी सामग्री प्रकाशित होती है। साथ ही राजनीति और समाज पर भी काफ़ी लेख आदि प्रकाशित होते हैं। मेरा अपना विचार है कि इसमें कुछ हल्की-फुल्की सामग्री भी छापें जो आम लोगों के लिए भी रुचिकर हो। वैसे किसी भी अंक में कोई ऐसा लेख नहीं मिलता जिसे महत्त्वहीन कहा जा सके।

-हनुमान सिंह, फरीदाबाद

पेज 1 का शेष भाग

कानून गया भाड़ में, वकील एकता ज़िन्दाबाद

मान लो पढ़े लिखे वकील साहब दिलबाग़ सिंह के साथ एक कम पढ़े लिखे सिपाही ने यदि कोई बदतमीज़ी कर भी दी थी तो क्या इसका यही समाधान था जो कानून के रखवाले वकीलों ने सोहना रोड़ पर किया? वकील साहेबान अपनी सफ़ाई में कहते बताए कि वे थाने में गए तो उनकी किसी ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी, उच्चाधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं की। हो सकता है कि वकीलों की यह बात सच हो क्योंकि वकील तो न्याय के प्रहरी हैं जो कभी झूठ तो बोलते ही नहीं। लेकिन यहां दोनों घटनाओं के बीच का समय, जो केवल एक घंटा है वह वकील साहेबान की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पीपल वाला चौक पर ट्रैफ़िक सिपाही चांद राम से 11.45 पर हुए झगड़े और 12.15 पर सोहना रोड पर लगे जाम में मात्र एक घंटे का ही तो अंतर है। तो क्या इसी एक घंटे में वकील दिलबाग़ सिंह थाने में रिपोर्ट लिखवाने भी चले गए, उसके न लिखे जाने पर उन्होंने उच्चाधिकारियों से थाने वालों की शिकायत भी कर दी और उसके बाद बार एसोसिएशन की बैठक बुलाकर सोहना रोड जाम की योजना भी बन गयी। वकीलों की यह कहानी कुछ हज़्म नहीं हुई। हां वकील साहेबान का संगठन अच्छा खासा मज़बूत है, कलम के साथ-साथ लट्ठ भी इसके हाथ में है तो इनको मांग करनी चाहिए कि जजों की तरह इन्हें भी कानूनन विशेष दर्जा दिया जाए। जिस तरह पिछले दिनों सम्मालका में बदमाशी करते पकड़े गए जज को पुलिस ने छोड़ दिया, गन्नौर में तैनात एक जज द्वारा अपने चपरासी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिए जाने पर भी आज तक भी उसे किसी ने नहीं पूछा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के तो कहने ही क्या हैं वे तो सभी लार्ड हैं ही। ऐसे में यदि वकील साहेबान भी कानून में अपने लिए विशेष प्रावधान अथवा विशेषाधिकार की मांग करें तो क्या ग़लत है? रही बात 'कानून के सामने सब बराबर है' तो इसकी पोल हर रोज़ हर जगह खुल रही है। विशेषाधिकार होने के बाद कम से कम सरकार एवं प्रशासन की ऐसी फ़ज़ीहत तो नहीं होगी जो अब आए दिन होती है।

जनता को क्या फायदा होगा?

घोषणायें करना बहुत आसान है, इसमें कुछ आता-जाता भी नहीं तो क्यों न घोषणायें की जायें। कुछ ने कर्ज माफ़ी की बात की तो कुछ ने बेरोज़गारी की समस्या का समाधान करने के लिए बेरोज़गारों को हज़ारों रुपये मासिक देने की घोषणा कर दी। यह नहीं सोचा कि इतना पैसा कहां से आयेगा। सरकारी खज़ाना तो जनता द्वारा दिये गये टैक्सों से ही भरता है। चुनाव से जो पार्टी सत्ता में आती है, वह इस खज़ाने में सेंधमारी करती है। यही अब तक होता रहा है और इस व्यवस्था में आगे भी यही होना है।

नेताओं द्वारा सरकारी खज़ाने में की जाने वाली सेंधमारी का पता करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हर अख़बार में इनके द्वारा की गई अपनी संपत्ति की घोषणा छपती है। गत पांच वर्षों में अधिकांश नेताओं की संपत्ति में लगभग बीस गुणा वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं दस वर्षों में इनकी संपत्ति में चालीस से पचास गुणा तक की वृद्धि हो जाती है।

क्या जनता इसे समझने के लिये तैयार है? यक्षप्रश्न यही है। अगर जनता सत्ता और शासन के शोषक एवं जनद्रोही स्वरूप को समझ ले तो फ़िर उसे इन चुनावों की हकीकत भी समझ में आ जायेगी। तब इन चुनावों से उसका मोहभंग हो जायेगा और वह इस बात को सोचने के लिए विवश हो जायेगी कि आखिर उसकी समस्यायें कैसे दूर हो सकती हैं।

भाषा का संस्कार

अंग्रेज़ी यदि उच्च वर्ग की भाषा है तो अंग्रेज़ी मिली हुई हिंदी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की भाषा है। आज हर पढ़ा-लिखा आदमी सामान्य बातचीत में हिंदी बोलते हुए अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से करता है। जरूरी नहीं कि ऐसा वह जानबूझ कर करता है, पर उसकी बातचीत की भाषा में अंग्रेज़ी घुलमिल गई है। इसे अस्वाभाविक कतई नहीं माना जाता। लेकिन लिखित भाषा में जब ऐसा होने लगता है तो वह अस्वाभाविक लगता है। उदाहरण के लिए हिंदी के कुछ अख़बारों में अंग्रेज़ी भाषा के आमफहम शब्दों के अलावा अन्य शब्दों का इस्तेमाल उसी प्रकार किया जा रहा है जिस रूप में बोलचाल की भाषा में किया जाता है। इसके उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर में किया जा रहा है। ये दोनों लोकप्रिय अख़बार हैं, पर वहीं दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, पंजाब केसरी आदि अख़बारों में सरल हिंदी का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेज़ी के शब्दों का अनावश्यक इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहां यह सवाल पैदा होता है कि लिखित भाषा में अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल कहां तक उचित है। क्या इससे हिंदी के वर्तमान स्वरूप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? जहां तक हिंदी भाषा का सवाल है, यह लोक प्रचलित शब्दों को चाहे वे किसी भी भाषा के हों, ग्रहण कर लेती है और लगभग दुनिया की सभी जीवंत भाषाओं की यही प्रवृत्ति है। अंग्रेज़ी में भी प्रति वर्ष हज़ारों विदेशी भाषाओं के शब्द शामिल हो जाते हैं। वहां भी यह बहस जोर-शोर से जारी है कि विदेशी भाषा के शब्दों को किस हद तक ग्रहण किया जाना चाहिए। जिन विदेशी शब्दों को खुद-ब-खुद भाषा आत्मसात कर लेती है, उनका चरित्र फ़िर विदेशी नहीं रह जाता। वे विदेशज शब्दों के रूप में भाषा में मौजूद रहते हैं, पर जिन शब्दों को आरोपित किया जाता है, वहां उनके प्रयोग में असहजता आ जाती है।

सूचना

मज़दूर मोर्चा पाक्षिक समाचार पत्र

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी 9811159238

अब बल्लभगढ़ व पलवल के पाठक भी अपने हॉकर से मजदूर मोर्चा प्राप्त कर सकते हैं। किसी कठिनाई की स्थिति में संपर्क करें :

ललित कौशिक
शॉप नं.6, अंबेडकर चौक, बल्लबगढ़
मोब. 9278108329

भूटानी न्यूज़ एजेंसी
मीनार गेट, पलवल। मोब.: 09354112741